सख्या 4090 7/1/08

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण– पत्र

नवीकरण संख्या 1142 / 2007–2008

फाइलसंख्या जी–26537

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान

पता– सरस्वती विद्या मन्दिर आर्यनगर गोरखपुर।

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सख्या 427 / 1997–1998

दिनांक 30/5/1997 को दिनांक 30/5/2007 से पॉच वर्ष

की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

380-00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

दिनांक 07.1. 2008

07.1.08

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तार प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AA 727403

यह जनरल स्टाम्प पेपर विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
आदिनगर
जिला गोरखपुर (सं० 2653)
संशोधित स्मृति पत्र के साथ संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
19/11/09

विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :	विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
2 संस्था का पंजीकृत कार्यालय	आर्यनगर, गोरखपुर उ0प्र0
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य	संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. समस्त प्रकार की शिक्षा में सहभागिता व प्रसार के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल,स्नातक व परास्नातक महाविद्यालयों जिसमें तकनीकी,चिकित्सा, कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियान्त्रिकी और सामाजिक शिक्षा आदि सम्मिलित हैं, की स्थापना करना/अथवा इस प्रकार के स्कूलों, महाविद्यालयों,अनुसन्धान संस्थानों इत्यादि को प्रेरित करना, सहायता प्रदान करना, चलाना, प्रबन्ध अथवा व्यवस्था करना।

2. सभी प्रकार के तकनीकी, शारीरिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रसार करना जो स्थानीय दशाओं में रोजगार परक और उपयुक्त हो तथा उन सभी कार्यक्रमों में सक्रिय सहभागिता प्रदान करना जो विद्यार्थीयों के स्वरोजगार से सम्बन्धित हो।

3. शैक्षिक गतिविधियों के उच्चीकरण के लिए भूमि भवन और सम्बन्धित उपकरण/संसाधन उपलब्ध कराना, उनका रख रखाव करना तथा उसमें सहभागिता प्रदान करना।

4. विद्यार्थीयों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए छात्रावासों की स्थापना करना अथवा उचित प्रकार से सहायता प्रदान करना तथा वहाँ विद्यार्थीयों के नैतिक, मानसिक व शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के खेल जैसे – योग, जूडो कराटे इत्यादि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

5. विद्यार्थीयों व सामान्य नागरिकों को लाभान्वित करने तथा समाज हित के लिए पुस्तकालयों, शिक्षा केन्द्रों, धर्मशालाओं, अतिथिगृहों, दुग्ध केन्द्रों इत्यादि की स्थापना करना, चलाना, प्रबन्ध करना, व्यवस्था करना अथवा उन्हें सहायता प्रदान करना।

6. संस्था के लिए उपयुक्त भवनों या कार्यालयों को खरीदना/क्रय करना, किराये पर प्राप्त करना, लाइसेंस या पट्टा करना, निर्माण करना अथवा अधिग्रहीत करना तथा उनको भली–भाँति सुसज्जित करना और व्यवस्थित करना।

7. संस्था के विद्यार्थीयों एवं शिक्षकों के उन्नति/प्रगति के लिए तथा उच्चीकृत कौशलों व तकनीकियों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शकों का व्याख्यान, संगोष्ठी, कार्यशाला और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से आमन्त्रित करना तथा उनके दक्षता व सेवाओं का लाभ प्राप्त करना।

8. संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अनुसन्धान कार्यों की निरन्तरता के लिए, ज्ञानार्जन, दक्षता व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए परिपूरक, छात्रवृत्ति, शोध छात्रवृत्ति, उपकरण और अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराना।

9. स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, रख–रखाव और विस्तार करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

मन्त्री

10. नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा के प्रसार के लिए संस्था के उद्देश्यों से समानता रखने वाले किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक अथवा धर्मार्थ संस्थानों को चन्दा, सहयोग, और अशंदान प्रदान करना। वृद्ध ,अन्धा, कमजोर, लंगड़ा, विधवा या अन्य किसी भी प्रकार से बीमार व्यक्ति या गरीब व्यक्तियों या अन्य किसी सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ प्रकृति को सहायता एवं संरक्षण प्रदान करना जो धर्मार्थ प्रयोजन में सहभागिता प्रदान करे।

11. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों या किसी व्यक्ति अथवा संगठन और/या संस्थान से चन्दा, अंशदान और सहयोग नगद या किसी अन्य रूप में प्राप्त करना तथा उनके सेवाओं का भी लाभ प्राप्त करना।

12. संस्था के उद्देश्यों के समान कार्य करने वाले स्कूलों, कालेजों और व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों /संस्थानों को सहयोग व अशंदान प्रदान करना।

13. गरीब व योग्य/उपयुक्त विद्यार्थियों को शिक्षा का लाभ उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं और अन्य आवश्यकता, सहयोग, निःशुल्क/वहनीय मूल्य पर प्रदान करना।

14. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुस्तकों का प्रकाशन या प्रकाशन में सहयोग करना और साहित्यों व विचारों का प्रकाशन व प्रसार–प्रचार करना जिसमें श्रव्य–दृश्य तथा फिल्म भी सम्मिलित है।

15. राष्ट्रीय मूल्य की सेवाओं जैसे – परिवार नियोजन, टीकाकरण,ग्रामीण स्वास्थ्य और चिकित्सा जो मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों और शारीरिक/मानसिक रूप से विकलागं लोगों से सम्बन्धित हो उसमें सकिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करना।

16. संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सदस्यों से अंशदान के रूप में आर्थिक सहयोग प्राप्त करना।

17. संस्था के परिभाषिक सुरक्षा के आधार पर संस्था के उद्देश्यों के लिए आवश्यक धन को आर्थिक ऋण के रूप में प्राप्त करना।

18. संस्था द्वारा अर्जित समस्त आय और सम्पत्ति का उपयोग पूर्ण रूप से इस स्मृति–पत्र में वर्णित और निर्धारित संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं उन्नयन के लिए सुनिशिचित करना तथा संस्था के आय और सम्पत्ति का कोई भी भाग/अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्था के सदस्यों को अनुचित रूप से लाभान्वित करने के लिए भुगतान या स्थानान्तरित न करना जबकि संस्था के प्रति दिये गये सेवाओं के सापेक्ष संस्था के अधिकारियों, कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों को वेतन या देयकों का भुगतान करना।

19. उन समस्त किया–कलापों और विषय वस्तुओं, जो संस्था के निहित उद्देश्यों के लिए अति आवश्यक और अपरिहार्य प्रतीत होते है, को कियान्वित करना। उपरोक्त किसी भी वाक्य में निर्धारित उद्देश्यों को किसी अन्य वाक्य में वर्णित शर्तों के सन्दर्भ या हस्तक्षेप से सीमित या प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकेगा।

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता का नाम , पता, पद, तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया।

कमांक	नाम	पिता का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	श्री आर0एस0 अग्रवाल	स्व0 बिहारी लाल	संरक्षक	साकेतनगर,गोरखपुर	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
2	श्री गुलजारी लाल टिबड़ेवाल	स्व0 हरिराम टिबड़ेवाल	अध्यक्ष	24 बेतियाहाता,गोरखपुर	व्यापार
3	श्री रघुनाथ सहाय पाण्डेय	स्व0 गतिराम पाण्डेय	उपाध्यक्ष	बालापार,गोरखपुर	सा0 कार्य
4	श्री शिवजी सिंह	स्व0 देवी सिंह	मंत्री	आर्यनगर,गोरखपुर	अध्यापन
5	श्री गंगा सागर राय	श्री पारस नाथ राय	उपमंत्री	बेतियाहाता,गोरखपुर	व्यवसाय
6	श्री राम देव तुलस्यान	स्व0 प्रभु दयाल तुलस्यान	कोषाध्यक्ष	10 बेतियाहाता,गोरखपुर	व्यापार
7	डा0 एम0के0 अग्रवाल	स्व0 सरदार मल्ल	सदस्य	इस्माईलपुर, गोरखपुर	चिकित्सक
8	श्री राम शरण लाल	स्व0 झकरी प्रसाद	सदस्य	नरसिंहपुर, गोरखपुर	सा0 कार्य
9	श्री डी0के0 कार्तिवाल	स्व0 [illegible] मल्ल	सदस्य	सुमेर सागर, गोरखपुर	व्यापार
10	श्री जैनाथ सिंह	स्व0 राज नारायण सिंह	सदस्य	बौलिया रेलवे कालोनी	नौकरी
11	श्री दीपक मिश्रा	श्री हरि देव मिश्रा	सदस्य	बशारतपुर, गोरखपुर	व्यापार

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 21 सन् 1860 के अनुसार करना चाहता हूँ।

गुलजारी लाल टिबड़ेवाल

रामशरण लाल

रघुनाथ सहाय पाण्डेय

शिवजी सिंह
मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

सत्य प्रतिलिपि
19.11.09
सहायक [illegible]
कार्यालय [illegible] एवं चिट्स
गोरखपुर
19/11/09

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता 19/11/09

D:\Sansthan\Socitey Registration.doc.

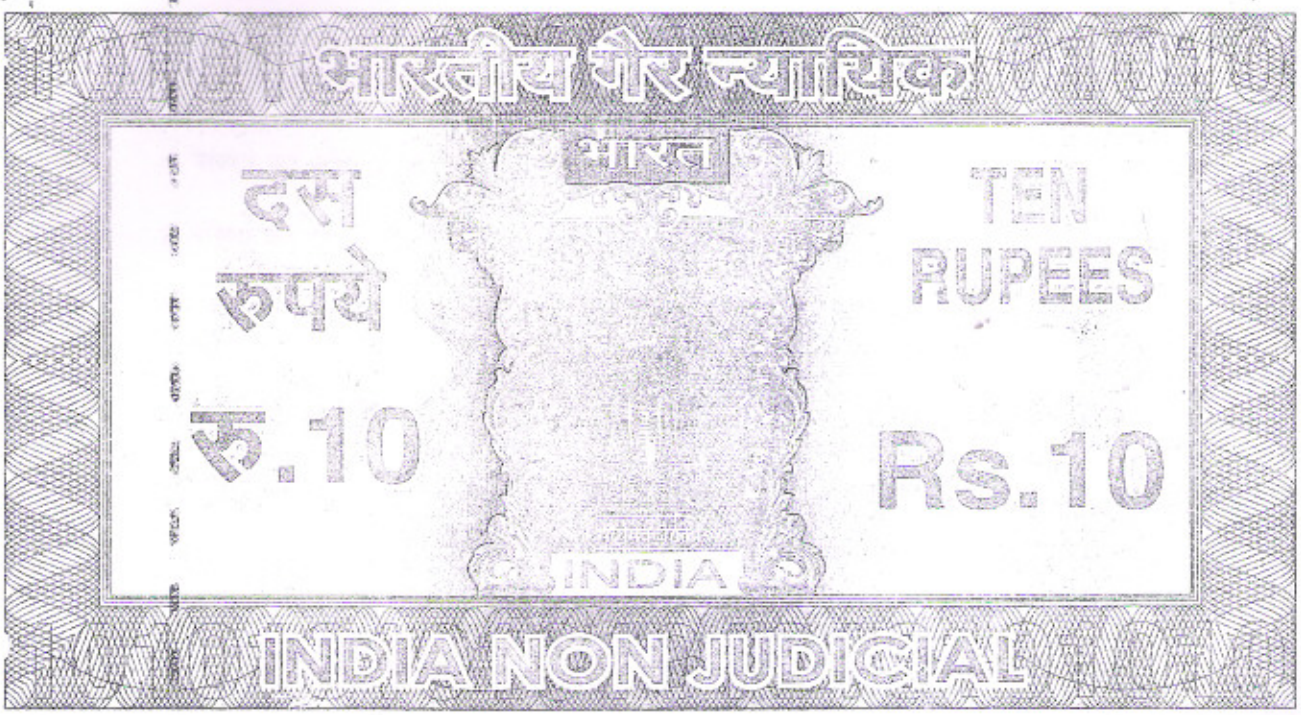

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

77AA 727404

यह जनरल स्टाम्प पेपर विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
आर्यनगर
जिला गोरखपुर (जी० 2653)
संशोधित नियमावली के साथ संलग्न है

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
19/11/09

विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान

1. संस्था का नाम : विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान

2. संस्था का पूरा पता : विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान, आर्य नगर, गोरखपुर उ0प्र0

3. संस्था का कार्य क्षेत्र : उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग : संस्था की साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर ही कोई व्यक्ति संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है।ऐसे व्यक्ति निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करने तथा साधारण सभा द्वारा सदस्य घोषित करने के उपरान्त ही सदस्य कहे जायेंगे।

क. आजीवन सदस्य– जो सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को रूपया 5000/–(पांच हजार रूपये मात्र) देगें वे साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करने तथा आजीवन सदस्य घोषित करने के उपरान्त आजीवन सदस्य कहे जायेगे।

ख. साधारण सदस्य– जो सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को रूपया 1000/–(एक हजार रूपये)देगें वे साधारण सभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा शुल्क की प्राप्ति स्वीकार करने तथा साधारण सदस्य घोषित करने के उपरान्त साधारण सदस्य कहे जायेंगे।

ग. सदस्यता शुल्क– सदस्यों से सदस्यता शुल्क मंत्री प्राप्त करेगें तथा मंत्री के हस्ताक्षर से जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।

5- (अ) अनर्हताएं : कोई व्यक्ति संस्था के पदाधिकारी/सदस्य पद पर चुने जाने अथवा बने रहने के अनर्ह हो जायेगा यदि :–

1. वह पागल या दिवालिया हो जाये।

2. वह दुराचरण के कारण दंडित हो जाये।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान,
आर्य नगर, गोरखपुर

3. वह किसी संस्था के पंजीकरण प्रबन्ध अथवा किया कलाप में किसी अभियोग के फलस्वरूप दंडित हुआ हो।

4. उसने संस्था की ख्याति अथवा उसके हितों के विपरित कार्य किया हो। अथवा ऐसे किसी कार्य में सहयोग किया हो। (इसके अन्तर्गत समाचार पत्र अथवा आकाशवाणी

दूरदर्शन पर वक्तवय देना,पत्रक छपवाकर बॅटवाना आदि भी सम्मिलित है।)

6.(ब) सदस्यता की समाप्ति : निम्नांकित में से एक या अधिक कारणों से सदस्यता की समाप्ति समझी जायेगी।

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र स्वीकार होने पर।
3. निरन्तर तीन बैठकों में बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहने पर।
4. सदस्यता शुल्क न देने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के कार्य संचालन हेतु संस्था के निम्नांकिंत दो अंग होंगे।

1. साधारण सभा।
2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8. साधारण सभा गठनः–नियमावली के धारा 5 में उल्लिखित सभी वर्ग के सदस्य इसके सदस्य माने जायेगें बैठकें:–साधारण व विशेष बैठकें होगी। वर्ष में साधारण बैठक कम से कम एक बार अवश्य बुलायी जायेगी।

ग .सूचना अवधिः–बैठक की सूचना दूरभाष, हाथसे या पोस्टिगं ,सर्टिफिकेट से दी जायेगी।

घ .गणपूर्तिः–कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 गणपूर्ति होगी, किन्तु स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथिः–
संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर साधारण सभा के निर्णय के अनुसार बुलाया जायेगा। जिसमें संस्था का प्रगति विवरण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रगति विवरण में आय–व्यय का

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मन्त्री
विद्या मन्दिर शिक्षा संस्थान
आर्य नगर, गोरखपुर

4. संस्था के समस्त आय–व्यय संचालन की जिम्मेदारी वहन करना समस्त चेक्स, बिल्स तथा बैंक एकाउन्टस पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
5 सभी प्रकार के दान,सहायता,चन्दा,ऋण, राजकीय अनुदान, सदस्यता शुल्क,क्षति पूर्ति अनुदान प्राप्त करना।
6. संस्था और संचालित संस्थाओं के हित की दृष्टि से अन्य आवश्यक कार्य करना।
7. न्यायालीय वादों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना तथा संस्था की ओर से न्यायालीय वादों को प्रस्तुत करना।
8. सदस्यों से सदस्यता शुल्क लेना व उसकी रसीद काट कर देने का अधिकार मंत्री का होगा। मंत्री द्वारा जारी की गयी रसीद मान्य होगा।

(ड.) उपमंत्री :
1. मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्य करना।
2. मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर मंत्री के सभी कार्य करना।

(च) कोषाध्यक्ष :
1. संस्था और संचालित संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में मंत्री की सहायता करना।
2. रोकड़ पंजी पर मंत्री के साथ हस्ताक्षर करना।

11. संस्था के नियमों और विनियमों के संशोधन की प्रकिया : सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्राविधान के अनुसार संस्था के नियमों और विनियमों में सम्पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से साधारण सभा की बैठक में बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन हो सकेगा

12. संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था) : संस्था द्वारा शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का कोष प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अन्तर्गत किसी बैंक, पोस्ट आफिस में खोला जायेगा जिसका संचालन मंत्री द्वारा या अध्यक्ष,मंत्री और कोषाध्यक्ष के द्वारा होगा। किन्तु इनमें से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकाला जायेगा।

सहायक रजिस्ट्रार-5-
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

कोष से सम्बन्धित सभी अभिलेख मंत्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखें जायेगें। रोकड़ पंजी पर माह के अन्त में मंत्री के हस्ताक्षर होंगे। प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

13. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था और संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं का लेखा परीक्षण प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित आडिटर द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में होगा और आडिट रिपोर्ट विचारार्थ प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष रखा जायेगा।

14. संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व :

संस्था और संस्था द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं द्वारा या उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व मंत्री/प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नामित पदाधिकारी का होगा।

15. संस्था का अभिलेख : संस्था का अभिलेख सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर स्टाक पंजी, रोकड़ पंजी आदि मंत्री की सुरक्षित अभिरक्षा में रखें जायेंगे।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी। यदि किसी कारण संस्था को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ी तो उसके नाम से जमा सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी भी संस्था को प्रदान कर दी जायेगी।

मंत्री
विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान
आर्यनगर गोरखपुर

19/11/09

-8-

D:\Sansthan\Socitey Registration.doc.

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 19/11/09